

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल प्रधान कार्यालय रायपुर

परिपत्र

क्रमांक... 11/0
दिनांक... 22/6/11

विषय:- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ठेकेदारों के पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क की प्रचलित दरों में संशोधन बाबत ।

मण्डल के 32वां सम्मिलन दिनांक 20.05.2011 के संकल्प क्रमांक 898-26/32/05/2011 के पद संख्या क्र. 26 में लिये गये निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल में ठेकेदारों के पंजीयन हेतु निर्धारित पंजीयन शुल्क की प्रचलित दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	विवरण	वर्तमान में पंजीयन शुल्क की दरें	नये पंजीयन शुल्क की दरें
1	'अ-1' श्रेणी	रु. 5,000.00	रु. 6,000.00
2	'अ-2' श्रेणी	रु. 8,000.00	रु. 8,000.00
3	'अ-3' श्रेणी	रु. 10,000.00	रु. 10,000.00
4	'अ-4' श्रेणी	रु. 15,000.00	रु. 20,000.00
5	'अ-5' श्रेणी	रु. 20,000.00	रु. 50,000.00

ये परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रभावशील माना जावेगा ।

[Signature]
आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

रायपुर, दिनांक 22/06/2011

पृ0क्र0 4646/आ.आ./मुख्या./ 11,
प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल रायपुर ।
2. निज सहायक, आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
3. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर ।
4. उपायुक्त I (योजना)/ II (विकास), छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
5. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
7. लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय रायपुर ।
9. कार्यपालन अभियंता, संभाग क्रमांक-1/2/3/राजधानी परियोजना रायपुर/दुर्ग/परि.संभाग दुर्ग/बिलासपुर/ धमतरी/ राजनांदगाँव/ जगदलपुर/ रायगढ़/ अंबिकापुर ।

[Signature]
आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर